झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक ; 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

अनुक्रमणिका

प्रारम्भिक

अध्याय – I

धाराएँ	विषय सूची	पृष्ट सं0
1.	संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं विस्तार	2
2.	परिभाषा	2–3

अध्याय – II

विश्वविद्यालय

3.	विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन	3
4.	शक्तियों का क्षेत्रीय प्रयोग	3
5.	विश्वविद्यालय का सभी वर्ग एवं पंथ के लिए खुला होना।	4
6.	विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कृत्य	4–5

अध्याय – III

विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण

7.	विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण	5
8.	कुलाधिपति और उनकी शक्तियाँ	5–6
9.	कुलपति और उसकी नियुक्ति	6
10.	कुलपति की शक्तियाँ एवं कृत्य	7
11.	कुल सचिव	8
12.	कुल सचिव की शक्तियाँ एवं कृत्य	8
13.	वित्त पदाधिकारी	8
14.	विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारी	8

अध्याय – IV

विश्वविद्यालय का प्राधिकार

धाराएँ	विषय सूची	पृष्ट सं0
15.	विश्वविद्यालय का प्राधिकार	8
16.	शासी निकाय	8–9
17.	शासी निकाय की शक्तियाँ एवं कृत्य	9
18.	कार्य परिषद्	10
19.	कार्य परिषद् की शक्तियाँ एवं कृत्य	10–11
20.	विद्या और वित्त परिषद्	11
21.	विश्वविद्यालय प्राधिकारों द्वारा समितियों का गठन	11
22.	प्राधिकार की सदस्यता से हटाना	11
23.	प्राधिकार गठन विषयक विवाद	11
24.	अस्थायी रूप में पदाधिकारियों की नियुक्ति और समितियों के गठन के लिए कुलपति की शक्ति	11
25.	विधिक संरक्षण	12

अध्याय – V
विश्वविद्यालय निधि

26.	विश्वविद्यालय निधि	12
27.	उधार लेने की शक्ति	12
28.	वित्तीय मामले में कतिपय प्रतिबंध	12
29.	पेंशन, बीमा निधि आदि का गठन	12
30.	वार्षिक प्रतिवेदन का लेखा एवं लेखा परीक्षा	12–13

अध्याय – VI
संविधि, अध्यादेश एवं नियमावली

31.	संविधि	13
32.	संविधि बनाने की प्रकिया	13–14
33.	कार्य परिषद् की शक्तियाँ	14
34.	अध्यादेश	14
35.	नियमावली	15

अध्याय – VII
प्रकीर्ण

धाराएँ	विषय सूची	पृष्ट सं0
36.	पिछड़ा वर्ग, अनु0जाति और अनु0 जन जाति के लिए स्थानो का आरक्षण	15
37.	सदस्यों, पदाधिकारियों का लोक सेवक होना	15
38.	अध्यादेश और आदेश का संरक्षण	15
39.	कुलसचिव द्वारा कार्यवाही की प्रति सरकार को अग्रसारित किया जाना	15
40.	सरकार को विश्वविद्यालय के निरीक्षण कराने की शक्ति	15
41.	विश्वविद्यालय द्वारा धन के रूप में लाभांश आदि का भुगतान नही करना	15
42.	भू–राजस्व के बकाये के रूप में ऋण आदि की वसूली	16
43.	पुनरीक्षण समिति	16
44.	विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन	16
45.	वाद का वर्जन	16
46.	निरसन और व्यावृत्ति	16
47.	संदेह और कठिनाई दूर करना	16

झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक ; 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखंड में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित करने और उससे संबंधित अथवा उससे आनुषंगिक मामलों में उपबंध करने के लिए विधेयक।

चूँकि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजिनियरी एवं प्रबंधन, विशेषकर इंजिनियरी में शिक्षा एवं शोध के उत्कृष्ट केन्द्रों के सृजन का उन्नयन करना आवश्यक हो गया है ;

और, चूँकि यह आवश्यक हो गया है कि झारखंड में स्थापित विभिन्न विश्वविद्यालय से संबंधन प्राप्त विद्यमान इंजीनियरी एवं तकनीकी महाविद्यालयों द्वारा दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए ;

और, चूँकि यह आवश्यक हो गया है कि इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोज्य विज्ञान में शोध सुविधाओं का विकास हो ;

और, चूँकि प्रौद्योगिकी– प्रवाह में वैश्विक परिवर्तन एवं झारखंड की आवश्यकता के अनुकूल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी, अनुपयोज्य विज्ञान और प्रबंधन में शोध को कार्यान्वित करना तथा शिक्षा देना आवश्यक हो गया है।

और, इसलिए झारखंड में एक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना करना समीचीन है।

भारत–गणतंत्र के बारसठवें वर्ष में झारखंड विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो:–

अध्याय – I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं विस्तार :–

(i) यह विधेयक झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 कहलाएगा।
(ii) यह सम्पूर्ण राज्य में प्रवृत्त होगा।
(iii) यह तुरन्त लागू होगा किन्तु प्रस्तावित विश्वविद्यालय विधेयक की धारा (3)(i) के उपबंधों के अनुसार अस्तित्व में आएगा।

2. परिभाषाएँ :–

जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नही हो, इस विधेयक में :–

(i) "विद्यमान महाविद्यालय" से अभिप्रेत है ऐसा महाविद्यालय या ऐसी संस्था जो तकनीकी शिक्षा देते हों और झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालाय विधेयक के अधीन अथवा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित हो;

(ii) "प्रस्तावित" से अभिप्रेत है नियमावली द्वारा प्रस्तावित ;

(iii) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है महाविद्यालय का प्रधान, चाहे उसे जो कहा जाए और उसमें शामिल हैं, जहाँ प्राचार्य नहीं हो वहाँ वह व्यक्ति जो तत्समय प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त हो और प्राचार्य या कार्यकारी प्राचार्य की अनुपस्थिति में सम्यक् नियुक्त उप–प्राचार्य ;

(iv) "नियमावली" से अभिप्रेत है इस विधेयक के अधीन बनायी गयी विश्वविद्यालय की नियमावली ;

(v) "तकनीकी शिक्षा" से अभिप्रेत है इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, वास्तु शिल्प, प्रबंधन, नगर योजना, अनुप्रयोज्य कला एवं शिल्प, अनुप्रयोज्य विज्ञान तथा अन्य ऐसे कार्यकम या क्षेत्र जो केन्द्र सरकार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित करें, में शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण के कार्यकम ;

(vi) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन स्थापित झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ;

(vii) "सम्बद्ध महाविद्यालय" से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जिसको इस विधेयक के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा सम्बंधन दिया गया हो ;

(viii) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जिसको इस विधेयक के उपबंधो के अधीन या द्वारा झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से विशेषाधिकार मिला हो या उसके द्वारा अनुरक्षित हो ;

(ix) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति और उसमें झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी भी शामिल है;

(x) "अंगीभूत महाविद्यालय" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित कोई महाविद्यालय जो विद्यार्थियों को विहित कानूनों के अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षा में शामिल होने हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए पाठ्यकम उपलब्ध कराता है तथा उसमें शामिल है इस विधेयक के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व राज्य के किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित और बाद में इस विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित महाविद्यालय ;

(xi) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखंड सरकार ;

(xii) "संस्था" से अभिप्रेत है इंजिनियरी, प्रौद्योगिकी, भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान, वास्तुशिल्प या ललित कला, पॉलिटेकनिक में शिक्षण, शोध, प्रयोग/प्रायोगिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने वाली संस्था, संगठन, प्रशिक्षण केन्द्र या अन्य प्रतिष्ठान ;

(xiii) "कुल सचिव" से अभिप्रेत हैं विश्वविद्यालय का कुल सचिव ;

(xiv) "शिक्षक" में शामिल हैं महाविद्यालय के प्रोफेसर, सह–प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, रीडर और व्याख्याता तथा महाविद्यालय में अनुदेश देने वाले कोई अन्य व्यक्ति जिसे शिक्षक के रूप में घोषित किया गया हो।

अध्याय – II

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन

3. (i) विश्वविद्यालय राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से अस्तित्व में माना जाएगा।

(ii) विश्वविद्यालय "झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय" के नाम से जाना जाएगा और इसका मुख्यालय राँची में होगा।

(iii) तत्समय पद धारण करने वाले कुलाधिपति, कुलपति, शासी निकाय, कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् के सदस्य झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय का गठन करेंगे।

(iv) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुहर होगी तथा वह उक्त नाम से वाद चलाएगा या उस पर वाद चलाया जाएगा।

शक्तियों का क्षेत्रीय प्रयोग :–

4. (i) विश्वविद्यालय इस विधेयक के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग सम्पूर्ण झारखंड में करेगा।

परन्तु राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता में परिवर्तन कर सकती है।

(ii) विधेयक के प्रारम्भ होने की तारीख को तकनीकी शिक्षा देने अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अ.भा.त.शि.प), नई दिल्ली के कार्य क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी विद्यमान महाविद्यालय या संस्था, जो राज्य विश्वविद्यालय से सम्बंद्वता प्राप्त विद्यमान सभी महाविद्यालय या संस्था (सम (डिम) विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संस्थाओं को छोड़कर) इस विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त माने जायेंगे।

(iii) राज्य में विद्यमान महाविद्यालय से भिन्न तकनीकी शिक्षा देने वाले प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था, इस विधेयक के प्रारम्भ होने की तिथि को, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त यथा अधिसूचित तिथि के प्रभाव से धारा–3 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त माने जायेंगे और झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000, के अधीन या द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय (इसमें इसके पश्चात् इस धारा में पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के रूप में निर्दिष्ट) से प्राप्त संबंधन या सहयोजन समाप्त हो जाएगा ;

परन्तु इसे प्रारम्भ होने की तारीख को विद्यमान महाविद्यालय से भिन्न किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी को इसके प्रारम्भ होने के पश्चात् भी पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के अधीन ऐसा अध्ययन जारी रखने का हक होगा एवं उसको इसकी अनुमति होगी तथा पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थी की परीक्षा आयोजित करेगा और वह तत्समय प्रवृत्त प्रकिया के अनुसार डिग्री अथवा कोई अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदान करेगा।

विश्वविद्यालय का सभी वर्ग एवं पंथ के लिए खुला होना :–

5. विश्वविद्यालय वर्ग या पंथ पर विचार किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा :

परन्तु विधेयक द्वारा अवधारित संख्या से अधिक संख्या के विद्यार्थियों के लिए कोई पाठ्यकम शामिल करने हेतु विश्वविद्यालय को इस धारा के अधीन कोई बात अपेक्षित नही होगी

परन्तु यह और कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, महिला तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों के नामांकन हेतु विशेष उपबंध बनाने से इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को वाधित नही करेगी ;

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ एवं कृत्य

6. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित कृत्य होंगे :–

(i) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, अनुप्रयोज्य विज्ञान एवं प्रबंधन तथा ऐसी अन्य विद्या शाखा, जो विश्वविद्यालय उचित समझे, में स्नातक, स्नाकोत्तर एवं डॉक्टरेट डिग्री के लिए शिक्षण एवं अनुदेश उपलब्ध कराना।

(ii) विभिन्न विद्या शाखाओं में उच्च अध्ययन एवं शोध के विभाग, केन्द्र स्थापित करना।

(iii) विभिन्न विद्या शाखाओं में स्नातक, स्नाकोत्तर एवं डॉक्टरेट डिग्री के लिए पाठ्यकम विहित करना।

(iv) अनुप्रयोज्य विज्ञान तथा इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन और ऐसी अन्य विद्या शाखा जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, में संस्थाओं को संबंधन या असंबंधन देना।

(v) परीक्षा आयोजित करना और ऐसी परीक्षाओं का परिणाम प्रकाशित करना।

(vi) ऐसे व्यक्तियों को डिग्री एवं अन्य शैक्षिक विशिष्टता प्रदान करना जिन्होंने महाविद्यालय में पाठ्यकमानुसार अध्ययन किया हो अथवा विहित रीति से शोध किया हो।

(vii) इस विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय एवं संस्थाओं का निरीक्षण एवं सामान्य पर्यवेक्षण करना।

(viii) अ.भा.त.शि.प./वि.अ.आ. एवं पाठ्यकमों पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे अन्य केन्द्रीय निकायों के मार्गदर्शन के अनुसार विभिन्न पाठ्यकमों में नामांकन–प्रकिया विहित करना।

(ix) विश्वविद्यालय के अधीन आनेवाले सभी पहलुओं में शोध करना एवं उसका प्रायोजन।

(x) नियमावली द्वारा यथाविहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टताओं को प्रदान करना।

(xi) ऐसे उद्देश्यों के लिए जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, अन्य विश्वविद्यालयों और उच्चत्तर शिक्षा की संस्थाओं तथा व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत संगठनों के साथ सहयोग करना।

(xii) ऐसी योग्यता की मान्यता के लिए जो विश्वविद्यालय उचित समझे, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना।

(xiii) शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या, कार्यशाला, सेमिनार एवं अन्य कार्यकम आयोजित और संचालित करना।

(xiv) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से संविधि द्वार यथ नियत पदों का सृजन करना, पदाधिकारियों एवं अन्य प्रभारियों की नियुक्ति करना।

(xv) ऐसे उद्देश्यों के लिए जिसके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार और अन्य निकाय से उपहार, चंदा या दान प्राप्त करना।

(xvi) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ किसी स्थायी या अस्थायी सम्पति का अर्जन, कय, पट्टा पर लेना या निष्पादन करना।

(xvii) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विलेख, पट्टा का निष्पादन तथा समझौता पत्र पर हस्ताक्षर, संविदा करना/संविदा रद्द करना।

(xviii) इसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, वि.अ.आ., अ.भा.त.शि.प एवं ऐसे अन्य निकायों से समझौता करना।

(xix) ऐसे सभी कार्य करना, जो विश्वविद्यालय की किसी एक या सभी शक्तियों के अनुप्रयोग के लिए आवश्यक या आनुषंगिक हो और विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि के लिए लाभकर हो।

अध्याय – III

विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण

7. **विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण** :–

विश्वविद्यालय में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :–

(i) कुलाधिपति,
(ii) कुलपति,
(iii) कुल सचिव,
(iv) वित्त पदाधिकारी,
(v) निदेशक, पाठ्यक्रम विकास,
(vi) परीक्षा नियंत्रक, और
(vi) विश्वविद्यालय के पदाधिकारी के लिए नियमावली में यथाघोषित पदाधिकारी।

8. **कुलाधिपति और उनकी शक्तियाँ**

(i) झारखंड राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे तथा अपने पदाभिधान से इसके प्रधान होंगे।

(ii) कुलाधिपति जब उपस्थित हों, तब विश्वविद्यालय की बैठकों एवं दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(iii) विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकार इनके अधीनस्थ होंगे।

(iv) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय, इसके भवन, प्रयोगशाला, कार्यशाला एवं उपकरण, किसी महाविद्यालय या छात्रावास, संचालित किए गए किसी शिक्षण या परीक्षा कार्य अथवा विश्वविद्यालय द्वारा किए गए किसी कार्य और उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों द्वारा किए गए निरीक्षण कार्य को, जिसको उसने निदेश दिया था, निरीक्षण कराने की शक्ति होगी तथा इसी तरह वह विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी मामले के सम्बन्ध में निरीक्षण कर सकता है या करवा सकता है और सम्बद्ध विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के पदाधिकारियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे ऐसे निरीक्षण कार्य में आवश्यक सहयोग करें।

परन्तु कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, अपने निरीक्षण या जाँच करने या कराने अथवा संचालित निरीक्षण की जाँच की सूचना कुलपति को देगा तथा विश्वविद्यालय को उसमें प्रतिनिधित्व करने का हक होगा।

(v)(क) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम को कुलपति को भेज सकता है तथा कुलपति कुलाधिपति के दृष्टिकोण की संसूचना कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् को देगा।

(ख) कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् ऐसी कार्रवाई की रिपोर्ट जो ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम पर की गयी हो अथवा किए जाने के लिए प्रस्तावित हो, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कुलाधिपति को करेगी।

(ग) जहाँ कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् समुचित समय के भीतर कुलाधिपति के समाधान पर कार्रवाई नहीं कर पाती है तो कुलाधिपति परिषद् द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे और कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् उसे तुरन्त अनुपालन करेगी :

परन्तु उप–धारा (v) में किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति, यदि वह आवश्यक समझे तो कुलपति या अन्यथा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक या पदाधिकारी अथवा

उसके द्वारा सम्बद्धता प्राप्त किसी महाविद्यालय से स्पष्टीकरण माँग सकते हैं और आरोपों पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निदेश निर्गत करे सकते है जो वह उचित समझे तथा कुलपति, कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् या शासी निकाय यथास्थिति उसका अनुपालन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करेंगे।

(vi) कुलाधिपति स्वप्रेरणा से या इस विधेयक के उपबंधो के अधीन कुलपति या सरकार द्वारा निदेशित किये जाने पर लिखित आदेश से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की किसी ऐसी कार्यवाही को बातिल कर सकता है जो इस अधिनियम, नियमावली या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुरूप नहीं हो।

परन्तु ऐसे किसी आदेश करने के पूर्व कुलाधिपति ऐसे प्राधिकार से कारण पृच्छा कर सकेगा कि ऐसा आदेश पारित क्यों नही किया जाए और यदि ऐसे प्राधिकारी द्वारा कोई कारण विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर विचार किया जायेगा।

(vii) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार को निलंबित या बर्खास्त तथा विश्वविद्यालय के अंतरिम प्रशासन के लिए उपाय करने का अधिकार होगा,

परन्तु किसी ऐसी कार्रवाई के पूर्व कुलाधिपति ऐसे प्राधिकारी को कारण पृच्छा का अवसर देगा कि क्यों नहीं ऐसी कार्रवाई की जाए।

(viii) मानद उपाधि प्रदान करने या वापस करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की संपुष्टी के अध्यधीन होगा।

(ix) विश्वविद्यालय सेवा के किसी कर्मचारी के विरूद्ध कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा पारित बर्खास्तगी के किसी आदेश के विरूद्ध कुलाधिपति के पास अपील की जाएगी।

(x) सम्बंधित कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश तामील होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर उप–धारा (ix) के अधीन अपील दायर की जाएगी।

(xi) कुलाधिपति को निधि कुप्रबंधन या अवचार के आरोप पर अथवा किसी ठोस एवं पर्याप्त कारण से लिखित आदेश द्वारा कुलपति को पद से हटाने की शक्ति होगी :

परन्तु इस धारा के अधीन कुलपति को हटाने का कोई आदेश तबतक नहीं किया जाएगा जबतक कि इस प्रयोजनार्थ कुलाधिपति द्वारा नियुक्त सरकार के सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी द्वारा संचालित जाँच से आरोप प्रमाणित न हो जाए।

परन्तु यह और कि इस उप–धारा के अधीन कुलपति को तबतक नही हटाया जाएगा जबतक कि उसके विरूद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्ध कारण बताने का युक्ति युक्त अवसर उसे न दिया गया हो।

(xii) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ प्राप्त होगी जो इस विधेयक या नियमावली द्वारा उसे प्रदान की जाए।

9. <u>कुलपति और उसकी नियुक्ति</u>

(i) कुलाधिपति कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा गठित समिति से अनुशंसित तीन नामों के पैनल में से करेगा।

(ii) उप–धारा (i) में निर्दिष्ट समिति में तीन सदस्य होंगे जिनमें से एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ अ. भा.त.शि.प. द्वारा नामनिर्दिष्ट होगा, एक कार्य–परिषद् द्वारा निर्वाचित होगा तथा शेष एक सदस्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट होगा, और कुलाधिपति उनमें से एक सदस्य को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा :

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति समिति के सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार का सदस्य हो अथवा विश्वविद्यालय या उसके द्वारा मान्यता या सम्बद्धता प्राप्त या अनुरक्षित महाविद्यालय या संस्था का कर्मचारी हो।

(iii) समिति अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर अपेक्षित अनुशंसा करेगी, ऐसा नही होने पर कुलाधिपति द्वारा दूसरी ऐसी समिति नियुक्त की जाएगी जो कुलाधिपति को अपेक्षित अनुशंसा करेगी, तदनुसार कुलाधिपति, कुलपति नियुक्त करेगा।

(iv) कुलपति अपना पद धारण करने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए पद धारण करेगा तथा दूसरी अवधि जो तीन वर्ष से अधिक की नही होगी अथवा नियमावली के अधीन विहित उम्र पूरा होने तक पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(v) कुलपति को देय पारिश्रमिक एवं अन्य सेवा–शर्ते नियमावाली द्वारा अवधारित किए जायेंगे।

10. कुलपति की शक्तियाँ एवं कृत्य

(i) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षिक एवं कार्यपालक पदाधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के सभी अन्य पदाधिकारी उसके सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अध्यधीन रहेंगे।

(ii) कुलपति कार्य परिषद् एवं विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा और विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की किसी बैठक में उपस्थित रहने एवं संबोधित करने का हकदार होगा किन्तु उसमें मतदान करने का हकदार तबतक नही होगा जबतक कि वह सम्बद्ध प्राधिकार का सदस्य न हो।

(iii) इस विधेयक एवं नियमावली के उपबंधो का अनुपालन सुनिश्चित करना कुलपति का कर्त्तव्य होगा उसे इस प्रयोजनार्थ यथा आवश्यक सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त या अनुरक्षित संस्थाओं के निरीक्षण करने का अधिकार कुलपति को होगा।

(v) यदि कुलपति की राय हो कि कोई आदेश या विनिश्चय जिसे पारित किया जाना अपेक्षित है अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार द्वारा किया गया कोई आदेश या विनिश्चय पारित किया जाना या तुरन्त करना आवश्यक हो तथा उस प्रयोजनार्थ उक्त प्राधिकार की बैठक बुलाना व्यवहार्य नहीं हो तो वह ऐसा आदेश पारित कर सकता है अथवा ऐसा विनिश्चय कर सकता है जो वह उचित समझे और उसे उक्त प्राधिकार की अगली बैठक में अनुसमर्थन के लिए रख सकता है और जहाँ प्राधिकार कुलपति से असहमत हो, वहाँ मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिनका विनिश्चय अंतिम होगा।

(vi) इस विधेयक के उपबंधो के अध्यधीन कुलपति को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :–

(क) सहायक कुल सचिव से न्यून और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पदों पर अथवा ऐसे पदों पर जैसा कि उनका कर्त्तव्य विहित या विनिर्दिष्ट किया जाए, नियुक्ति करना।

(ख) शिक्षकेत्तर कर्मचारी सहित सहायक कुल सचिव से न्यून पंक्ति के विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी का निलम्बन, बर्खास्तगी या अन्यथा दण्ड देना, और

(ग) विश्वविद्यालय के छात्रों के विरुद्ध आनुशासनिक कार्रवाई करना :

परन्तु वह इस उपधारा के अधीन किसी शक्ति को कुल सचिव को प्रत्यायोजित कर सकता है।

(vii) विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् या विद्या परिषद् या किसी अन्य प्राधिकार की बैठक बुलाने की शक्ति कुलपति को होगी।

(viii) कुलपति को यह सुनिश्चित करना कर्त्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय की कार्यवाही का अनुपालन इस विधेयक या नियमावली के उपबंधों के अनुसार हो और जहाँ कुलपति की राय में विश्वविद्यालय या उसके किसी प्राधिकार की कोई कार्यवाही या आदेश से इस विधेयक या नियमावली के किसी उपबंध का उल्लंघन होता हो तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसी कार्यवाही या आदेश के प्रवर्त्तन को स्थगित कर सकता है तथा कुलाधिपति को रिपोर्ट भेज सकता है अथवा धारा–8 की उप–धारा (vi) के उपबंधों के अनुसार अंतिम विनिश्चय के लिए निर्देश कर सकता है।

(ix) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि विधेयक या नियमावली में विहित किया जाए।

(x) मुख्यालय से कुलपति की अनुपस्थिति अथवा बीमारी जैसे कारणों से उनकी असमर्थता की दशा में कुलाधिपति ऐसी अनुपस्थिति के दौरान कुलपति के कर्त्तव्यों के सम्पादन के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(xi) मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा कारणों से कुलपति के पद रिक्त हो जाने की दशा में कुलाधिपति किसी व्यक्ति को कुलपति के रूप में तबतक कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा जबतक कि धारा–9 के अनुसार कुलपति की नियमित नियुक्ति न हो जाए। परन्तु ऐसी अंतरिम व्यवस्था की अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी।

11. **कुलसचिव**
कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और कार्य परिषद् द्वारा उसकी नियुक्ति ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर की जाएगी जैसा कि नियमावली द्वारा विहित किया जाए।

12. **कुलसचिव की शक्तियाँ एवं कृत्य** :–

कुलसचिव निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा :–

(i) विश्वविद्यालय के अभिलेख और सामान्य मुहर की अभिरक्षा।
(ii) विश्वविद्यालय के छात्रों के शैक्षिक कार्य सम्पादन के स्थायी अभिलेख का अनुरक्षण, जिनमें लिए गए पाठ्यक्रम, प्राप्त किए गए ग्रेड, प्रदान की गयी उपाधियाँ, जीते गए पुरस्कार या अन्य विशिष्टताएँ और छात्रों के शैक्षिक कार्य सम्पादन के संबंध में कोई अन्य अभिलेख भी शामिल है ; और
(iii) विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदाओं का निष्पादन।
(iv) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का सम्पादन करना जो विधेयक या नियमावली द्वारा विहित किए जाएँ।
(v) विश्वविद्यालय द्वारा अथवा उसके विरूद्ध वाद या कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर करना ओर अभिवचन सत्यापित करना अथवा इस प्रयोजनार्थ अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करना।

13. **वित्त पदाधिकारी**

(i) कार्य परिषद् सरकार द्वारा प्रस्तुत राज्य/केन्द्रीय वित्त सेवा/केन्द्रीय राजस्व सेवा/लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा से आने वाले पदाधिकारियों के नामो के पैनल में से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी के रूप में नियमावली द्वारा यथाविहित अवधि एवं शर्तो पर नियुक्ति करेगी।
(ii) वित्त पदाधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा, कुलपति के नियंत्रण के अध्यधीन होगा और यथाविहित शक्तियों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का सम्पादन करेगा।

14. **विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारी**

(i) कार्य परिषद्, निदेशक पाठ्यक्रम विकास, परीक्षा नियंत्रक और धारा–8 के खंड (vi) में यथा निर्दिष्ट अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति यथा विहित अवधि एवं शर्तो पर करेगी।

अध्याय – IV
विश्वविद्यालय का प्राधिकार

15. **विश्वविद्यालय का प्राधिकार** :–
विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे :–

(क) शासी निकाय
(ख) कार्य परिषद्
(ग) वित्त परिषद्
(ध) विद्या परिषद् ; तथा
(ड.) विश्वविद्यालय प्राधिकार के लिए कानून द्वारा यथा घोषित अन्य प्राधिकार।

16. **शासी निकाय**

(1) शासी निकाय में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :–
  (i) कुलाधिपति
  (ii) कुलपति
  (iii) कुलसचिव
  (iv) सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, झारखंड सरकार

(v) सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार

(vi) सचिव, उधोग विभाग, झारखंड सरकार

(vii) सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार

(viii) महामहिम राज्यपाल, झारखंड के सचिव

(ix) अध्यक्ष, अ.भा.त.शि.प. या उसका नामनिर्देशिती

(x) निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,

(xi) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या सम्बद्धता प्राप्त सभी संस्थाओं के प्राचार्यगण।

(xii) उद्योग, शोध एवं विकास, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी, वास्तुशिल्प, ललित कला, भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान एवं लोक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले चार लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति (सरकार द्वारा नामनिर्देशित)।

(xiii) पोलिटेकनिक संस्थानों के नियमित प्राचार्यगण।

(xiv) राँची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिद्हू कान्हू विश्वविद्यालय, नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, बी0आई0टी0, मेसरा और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति गण।

(xv) प्रबंध निदेशक, सेल, मेकॉन, सी.सी.एल, एच.इ.सी. तथा निदेशक, एन.आइ.एफ.एफ.टी. एवं एक्स. एल.आर.आइ.।

(xvi) कुलाधिपति द्वारा मनोनित दो सदस्य।

(xvii) राज्य के विधानसभा द्वारा अपने सदस्यों में से मनोनित दो सदस्य।

17. <u>शासी निकाय की शक्तियाँ एवं कृत्य</u>

(i) कुलाधिपति शासी निकाय का अध्यक्ष होगा और इसकी सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(ii) कुलपति शासी निकाय के सदस्य सचिव के रूप मे कार्य करेगा।

(iii) शासी निकाय का कार्य ऐसी रीति एवं प्रकिया नियमावली के अनुसार संचालित होगा जैसा कि विश्वविद्यालय नियमावली द्वारा समय–समय पर विहित किया जाए।

(iv) शासी निकाय के सदस्य समय–समय पर यथा विहित दैनिक एवं यात्रा भत्ता पाने का हकदार होंगे किन्तु किसी पारिश्रमिक के पात्र नही होंगे।

(v) कोई व्यक्ति जिसे किसी खास नियुक्ति या पद्व धारक के रूप में शासी निकाय का सदस्य बनाया गया है या नाम निर्दिष्ट किया गया है, उनको उस नियुक्ति या पद पर नही रहने पर शासी निकाय के सदस्य बने नही रहेंगे।

(vi) (क) पदेन सदस्य से भिन्न शासी निकाय का हर सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा : परन्तु ऐसा सदस्य पुनर्नामनिर्देशन का पात्र होगा, किन्तु लगातार दो अवधि से अधिक पद धारण नही करेगा।

(ख) शासी निकाय का नामनिर्दिष्ट सदस्य किसी भी समय अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे सकता है। ऐसा त्याग पत्र सदस्य द्वारा लिखित पत्र के रूप में कुलाधिपति को दिया जाएगा और यह सरकार द्वारा स्वीकृत होने की तारीख से प्रभावी होगा।

(vii) नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से आकस्मिक रिक्तियॉ सरकार द्वारा नामनिर्देशन से भरी जाएगी।

(viii) शासी निकाय वर्ष में कम–से–कम एक बार बैठक करेगा।

(ix) शासी निकाय की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यपेक्षा पर बैठक बुलाई जायेगी, जो उपर्युक्त अध्यपेक्षा की प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों के बाद नही होगी।

(x) शासी निकाय की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या की एक तिहाई अथवा छः व्यक्ति, जो भी कम हो, से होगी।

18. **कार्य परिषद्**

(I) कार्य परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :–

(i) कुलपति
(ii) कुल सचिव
(iii) सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, झारखंड सरकार या उसका नामनिर्देशिती।
(iv) सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार या उसका नाम निर्देशिती।
(v) सचिव, उधोग विभाग, झारखंड सरकार या उसका नाम निर्देशिती।
(vi) सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखंड सरकार या उसका नाम निर्देशिती।
(vii) अध्यक्ष, अ.भा.त.शि.प. या उसका नामनिर्देशिती।
(viii) निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
(ix) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या सम्बद्धता प्राप्त संस्थानो के चार प्राचार्य।
(x) उधोग, शोध एवं विकास, इंजिनियरी एवं प्रौद्योगिकी, वास्तुशिल्प, ललित कला, भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान तथा लोक जीवन आदि के प्रतिनिधित्व करने वाले चार लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्ति (सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट)।
(xi) वित्त पदाधिकारी।
(xii) निदेशक, पाठ्यकम विकास।
(xiii) परीक्षा नियंत्रक।

(II) कुलपति कार्य परिषद् का अध्यक्ष होगा और इसकी सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(III) कुलसचिव कार्य परिषद् के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(IV) कार्य परिषद् का कार्य विश्वविद्यालय की नियमावली द्वारा समय–समय पर यथा विहित रीति एवं प्रकिया नियमावली के अनुसार संचालित होगा।

(V) कार्य परिषद् के सदस्य समय–समय पर यथा विहित दैनिक एवं यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, किन्तु कोई पारिश्रमिक के लिए पात्र नही होगा।

(VI) कोई सदस्य जिसे किसी खास नियुक्ति या पदधारक के रूप में कार्य परिषद् का सदस्य बनाया गया है या नाम निर्दिष्ट किया गया है, यदि वह उस खास नियुक्ति या पद पर नही रहता है तो वह कार्य परिषद् का सदस्य बना नही रहेगा।

(VII) (क) पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद् का हर सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा :

परन्तु ऐसे सदस्य पुनर्नामनिर्देशन के पात्र होगे किन्तु ऐसे सदस्य लगातार दो अवधि से अधिक पद धारण नही करेंगे ;

(ख) कार्य परिषद् का नामनिर्दिष्ट सदस्य किसी भी समय अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है। ऐसा त्यागपत्र सदस्य द्वारा लिखित पत्र के रूप में कुलाधिपति को भेजा जाएगा और त्याग पत्र सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा ;

(VIII) नाम निर्दिष्ट सदस्यों में से सभी आकस्मिक रिक्तियाँ सरकार द्वारा नाम निर्देशन से भरी जाएगी।

(IX) कार्य परिषद् कम–से–कम तीन माह में एक बार बैठक करेगी तथापि आवश्यक होनें पर बैठक कर सकती है।

(X) कार्य परिषद् के कुल सदस्यों के कम–से–कम एक तिहाई सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यपेक्षा पर कुलपति अपने द्वारा नियत तारीख पर उसकी बैठक बुला सकेगा, जो ऐसी अध्यपेक्षा प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के बाद नही होगी।

(XI) कुलपति की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे।

(XII) कार्य परिषद् की बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों की एक तिहाई अथवा छह व्यक्ति जो भी कम हो, होगी।

19. **कार्य परिषद् की शक्तियाँ एवं कृत्य**

(I) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का पृथक् कार्यपालक निकाय होगा और यह निम्नलिखित कृत्य सम्पादित करेगा :–

(i) कुलपति द्वारा प्रस्तुत बजट प्राक्कलन को अनुमोदित करना;
(ii) विहित रीति से विश्वविद्यालय के पदों का सृजन और शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना;
(iii) विश्वविद्यालय के लिए या इसके निमित सम्पतियों का अर्जन, धारण या निष्पादन करना अथवा उपहार या चंदा स्वीकार करना;
(iv) विश्वविद्यालय के निवेश के लिए व्यवस्था करना तथा रूपये–पैसों का आहरण करना;
(v) इस विधेयक एवं एतद्धीन बनाई गयी नियमावली के उपबंधो के अनुरूप विश्वविद्यालय के मामलों से संबंधित नीतियों का अवधारण एवं विनियमन करना;
(vi) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने करने के लिए विशिष्ट या सामान्य प्रयोजनार्थ तथा उसके शैक्षिक कियाकलापों से संबंधित समुचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए यथा आवश्यक स्थायी या अस्थायी समितियों की नियुक्ति;
(vii) महाविद्यालयों के शैक्षिक स्वायत्तता को बढ़ावा देना;
(viii) नियमावली बनाना;
(ix) विश्वविद्यालय पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, संग्रहालय आदि की स्थापना, सज्जा एवं अनुरक्षण;
(x) शोध एवं विकास का प्रबंध करना तथा ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना;
(xi) भत्ता एवं यात्रा भत्ता का प्रबंध, छात्रवृति, वजीफा, मेडल एवं पुरस्कार संस्थित तथा प्रदर्शनी आयोजित करना;
(xii) विश्वविद्यालय क्षेत्र के सभी महाविद्यालयों एवं छात्रावासों का नियमावली द्वारा विहित रीति से नियंत्रण एवं व्यवस्थापन;
(xiii) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस विधेयक के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अन्यथा उपबंधित हो;

II इस विधेयक द्वारा स्पष्टतः उपबंधित के अतिरिक्त कार्य परिषद् विश्वविद्यालय से संबंधित पदों की दशा में ऐसे पदो पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती एवं सेवा शर्त्तो के संबंध में नियमावली बनाने में सक्षम होगी।

20. <u>विद्या और वित्त परिषद्</u>

विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता के लिए एक विद्या और एक वित्त परिषद् विश्वविद्यालय मुख्यालय में गठित की जाएगी, इसका गठन, शक्ति एवं कृत्य वही होंगे जो संविधि द्वारा विनिर्दिष्ट किए जायंगे।

21. <u>विश्वविद्यालय प्राधिकारों द्वारा समितियों का गठन</u>

विश्वविद्यालय के हरेक प्राधिकार की यह शक्ति होगी कि वे ऐसी समितियो का गठन करे, जो इस विधेयक में अन्यथा उपबंधित न हो, और उनमें प्राधिकार के ऐसे सदस्यों एवं ऐसे अन्य व्यक्तियों को रखा जा सकता है जो वह उचित समझे।

22. <u>प्राधिकार की सदस्यता से हटाना</u>

कार्य परिषद् किसी व्यक्ति को किसी प्राधिकार की सदस्यता से नैतिक अधमता के अपराध में दोष सिद्व होने के आधार पर हटा सकेगी।

23. <u>प्राधिकार गठन विषयक विवाद</u>

जहॉ किसी व्यक्ति को कार्य परिषद् से भिन्न अन्य प्राधिकार के सदस्य के रूप में नामनिर्देशन या नियुक्ति या उसकी हकदारी के बारे में अथवा कार्य परिषद् सहित किसी प्राधिकार के कार्य या कार्यवाही विहित विधेयक एवं नियमावली के सुसंगत होने के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता हो तो उसे कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिनका विनिश्चिय अंतिम होगा।

24. <u>अस्थायी रूप में पदाधिकारियों की नियुक्ति और समितियों के गठन के लिए कुलपति की शक्ति</u>

इस विधेयक में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और जबतक किसी प्राधिकार का सम्यक् रूप से गठन न हो जाए तबतक कुलपति, कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन किसी पदाधिकारी की नियुक्ति अथवा समिति के गठन अस्थायी रूप में कर सकता है जो इस नियम के अधीन ऐसे प्राधिकार की सभी या किसी शक्ति एवं कृत्य का प्रयोग एवं सम्पादन करते है।

25. **विधिक संरक्षण**
कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, वित्त परिषद् अथवा इस विधेयक के अधीन संगठित अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके गठन में कोई त्रुटि होने के कारण अथवा इसके सदस्यों में से कोई रिक्ति होने के कारण अथवा इसके किसी सदस्य के नामनिर्देशन या नियुक्ति में अविधिमान्यता के कारण अविधिमान्य नही समझे जायेंगे।

अध्याय – V

विश्वविद्यालय निधि

26. **विश्वविद्यालय की निधि :–**

(i) यह विश्वविद्यालय स्व वित्त पोषित होगी तथा उसमें निधि के निम्नांकित श्रोत होंगे:–

(क) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहयोग या अनुदान राशि।
(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्रीय सरकार या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त सहयोग या अनुदान राशि।
(ग) किसी निजी व्यक्ति या संस्थान द्वारा अंतरदान, दान, वृत्ति दान या अनुदान।
(घ) विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क एवं चार्ज या आदि से प्राप्त आय।
(ड़) किसी अन्य श्रोत से प्राप्त धन राशि।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक की धारा 1934 (केन्द्रीय धारा संख्या–2/1934) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी अनुसूची बैंक या बैंकिग कंपनीज या बैकिंग या बैकिंग कंपनियों की धारा 1970 (केन्द्रीय धारा नं0–5) तथा बैकिंग अधिग्रहण एवं प्रतिष्ठानों का स्थानान्तरण (धारा 1980) (1980की केन्द्रीय धारा सं0–40) तथा भारतीय न्यास धारा 1942 के तहत् अधिकृत प्रतिभूतियों में (1982की केन्द्रीय धारा सं0–2) जैसा भी कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्णय किया जाए, में कोष की राशि को जमा अथवा उसका निवेश किया जायेगा।

(iii) विश्विद्यालय के निर्धारित नियमावली द्वारा निर्धारित किसी भी कार्य हेतु कथित कोष का उपयोग किया जा सकता है।

27. **उधार लेने की शक्ति**
विश्वविद्यालय भारत सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से राशि स्वीकार करेगा और अपने प्रयोजनो के लिए बैंक या निगम से उधार भी ले सकेगा बर्शर्ते कि जहाँ विश्वविद्यालय बैंक या निगम या दोनों से एक बार में या कुल पचास हजार से अधिक की राशि उधार लेना चाहता है तो इसके लिए उसे सरकार से लिखित पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा।

28. **वित्तीय मामलें में कतिपय प्रतिबंध**
विश्वविद्यालय, सरकार के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना कर्णांकित निधियों का विचलन अन्य प्रयोजनों में अथवा अपने कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण में अथवा ऐसी स्कीम कार्यान्वित करने में जिसमें सरकार से समरूप अंशदान हो अथवा प्रयोजित करने वाले प्राधिकार द्वारा सहायता रोक दी जाने की स्थिति में सरकार पर आवर्ती दायित्व अध्यारोपित होता हो, नही करेगा।

परन्तु कार्य परिषद् एक वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए शिक्षकों के पदों का सृजन एवं भर्ती प्राधिकृत कर सकती है किन्तु राज्य सरकार के लिखित पूर्वानुमोदन के बिना ऐसे पद जारी नही रहेंगे अथवा उक्त अवधि के पश्चात् किसी अवधि के लिए पुनः सृजित नही किये जायेंगे।

29. **पेशन, बीमा निधि आदि का गठन :–**
(i) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभार्थ नियमावली द्वारा यथा विहित रीति एवं शर्तो के अध्यधीन ऐसी पेंशन, बीमा, उपदान या भविष्य निधि का गठन कर सकता जो वह उचित समझे।

30. **वार्षिक प्रतिवेदन का लेखा एवं लेखा परीक्षा :–**
(i) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा कार्य परिषद् द्वारा सरकार को उपस्थापित किया जायेगा जो ऐसे व्यक्ति से लेखा परीक्षा करा सकती है जिसे वह इस निमित नियुक्त करे।

(ii) लेखा परीक्षित लेखा मुद्रित कराया जायेगा और उसकी प्रतियाँ, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रति के साथ–साथ कार्य परिषद् द्वारा अपनी टिप्पणी के साथ सरकार को उपस्थापित किया जायेगा। सरकार कार्य परिषद् की टिप्पणी के साथ लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगी।

अध्याय – VI

संविधि, अध्यादेश एवं नियमावली

31. संविधि

(i) इस विधेयक के उपबंधो के अध्यधीन नियमावली में निम्नलिखित सभी या किसी मामले के लिए उपबंध किया जा सकता है :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारों के गठन, शक्ति एवं कृत्य ;
(ख) प्राधिकारों के सदस्यो में से रिक्तियाँ भरने की रीति;
(ग) प्राधिकारों एवं उनकी समिति के सदस्यों को भुगतान किये जाने वाले भत्ते;
(घ) प्राधिकार की बैठक की प्रकिया, जिसमें ऐसी बैठक के कार्य संचालन के लिए गणपूर्ति भी शामिल है;
(ड.) प्राधिकारों के आदेशों, विनिश्चयों का प्रमाणन;
(च) कुलपति से भिन्न विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों की पदावधि, नियुक्ति–पद्धति एवं सेवा शर्त्तें;
(छ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की अर्हता;
(ज) विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के वर्गीकरण, नियुक्ति प्रकिया और सेवा के निबंधन एवं शर्त्तों का अवधारण;
(झ) विश्वविद्यालय पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के लाभार्थ पेंशन, बीमा, उपदान या भविष्य निधि का गठन;
(ञ) अंगीभूत महाविद्यालयों में पाठ्यकम, शोध, प्रयोग एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र की परीक्षा में प्रवेश के लिए प्रभारित शुल्क;
(ट) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, वजीफा, मेडल एवं पुरस्कार तथा उसके प्रदान करने की शर्त्तें;
(ठ) हॉल एवं छात्रावास की स्थापना एवं रख–रखाँव;
(ड) हॉल एवं छात्रावास में विश्वविद्यालय छात्रों के आवास की शर्त्तें और ऐसे आवास के लिए शुल्क एवं अन्य प्रकार का उद्ग्रहण;
(ढ) डिग्री एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन;
(ण) मानद डिग्री एवं शैक्षिक विशिष्टता प्रदान करना;
(त) स्नातकों की पंजीकरण की शर्त्तें एवं उसके रजिस्टर संधारण;
(थ) इस विधेयक के सभी या किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य सभी मामलें।

32. संविधि बनाने की प्रकिया

(i) धारा–31(1) में उपवर्णित मामलें के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय नियमावली का प्रथम सेट सरकार द्वारा बनाया एवं अधिसूचित किया जायेगा।

(ii) उप–धारा (1) में निर्दिष्ट प्रथम नियमावली के अतिरिक्त कार्य परिषद् समय–समय पर कोई नियमावली बना सकती है तथा इस धारा में उपबंधित होने पश्चात् किसी नियमावली में संशोधन या निरसन कर सकती है;

परन्तु उप–धारा (1) में निर्दिष्ट प्रथम नियमावली अथवा कार्य परिषद् द्वारा बनायी गयी नियमावली की किसी बात से इस उप–धारा के अधीन तकनीकी विश्वविद्यालय के नियंत्रण में स्थानांतरित शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्त्तो पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा;

(iii) विद्या परिषद्, कार्य परिषद् द्वारा बनायी जाने वाली हर नियमावली के प्रारूप को कार्य परिषद् में प्रस्तावित करेगा और कार्य परिषद् की अगली बैठक में इस प्रारूप पर विचार किया जायेगा;

परन्तु विद्या परिषद् ऐसी किसी नियमावली के प्रारूप, नियमावली में कोई संशोधन अथवा किसी विद्मान प्राधिकार की संविधि, शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाली नियमावली के निरसन पर तबतक प्रस्ताव नही करेगी जबतक की ऐसे प्राधिकार को ऐसे प्रस्ताव पर अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त करने का अवसर न दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त दृष्टिकोण पर कार्य परिषद् द्वारा विचार न किया गया हो;

(iv) कार्य परिषद् उप–धारा (iii) में यथा निर्दिष्ट किसी प्रारूप पर विचार कर सकती है और नियम पारित कर सकती है या इसे अस्वीकार कर सकती है अथवा अपनी सुझाव सहित किसी संशोधन के साथ पूर्ण रूप या आंशिक रूप में पुनः विचार हेतु विद्या परिषद् को वापस कर सकती है;

(v) (क) कार्य परिषद् द्वारा पारित हर नियम कुलाधिपति को उपस्थापित किया जायेगा जो अपनी सहमति दे सकते हैं या इसे रोक सकते हैं अथवा पुनर्विचार हेतु कार्य परिषद् को भेज सकते है;

(ख) कार्य परिषद् द्वारा पारित कोई नियम तबतक विधिमान्य नही होगा जबतक कि इस पर कुलाधिपति द्वारा अपनी सहमति नही दे दी जाती।

33. <u>कार्य परिषद् की शक्तियाँ</u>

यदि कार्य परिषद् किसी भी समय ऐसा करना आवश्यक समझे तो विद्या परिषद् के परामर्श से उसके निमित विशेष संकल्प द्वारा नियमावली को संशोधित, परिवर्धित या निरसित कर सकती है; परन्तु ऐसा हरेक संशोधन, परिवर्धन या निरसन :–

(i) इस विधेयक से सुसंगत होगा।
(ii) तबतक विधिमान्य नही होगा जबतक की कुलाधिपति की सहमति नही मिल जाती।

<u>स्पष्टीकरण</u>

इस विधेयक के प्रयोजनार्थ "विशेष संकल्प" से अभिप्रेत है इस प्रयोजनार्थ बुलाई गई कार्य परिषद् की विशेष बैठक में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम–से–कम तीन चौथाई बहुमत द्वारा पारित संकल्प।

34. <u>अध्यादेश</u>

(i) इस विधेयक के उपबंधो के अध्यधीन, विश्वविद्यालय अध्यादेश निम्नलिखित सभी या किसी मामले के लिए उपबंध कर सकती है :–

(क) अंगीभूत महाविद्यालयों में छात्रों के नामांकन;
(ख) विश्वविद्यालय की सभी डिग्री, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र के लिए पाठ्यक्रम;
(ग) ऐसी शर्त्तें जिसके अधीन डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के पाठ्यक्रम में छात्रों का नामांकन किया जायेगा;
(घ) विश्वविद्यालय परीक्षा का संचालन और ऐसी शर्त्तें जिसपर ऐसी परीक्षाओं में छात्रों का प्रवेश होगा;
(ड.) ऐसी रीति जिसमें परीक्षाओं में छात्रों को प्रवेश के मामलें में छूट दी जा सकें;
(च) परीक्षा निकाय एवं परीक्षकों की नियुक्ति की विधि, शर्त्तें और कर्त्तव्य ;
(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना;

(ii) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय विद्या परिषद् द्वारा अध्यादेश बनाया जायेगा;

(iii) विद्या परिषद् द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश उसके द्वारा नियत तारीख से प्रभावी होंगे किन्तु इस प्रकार बनाए गए हर अध्यादेश को इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र कार्य परिषद् को उपस्थापति किया जायेगा और कार्य परिषद् अपनी अगली उत्तरवर्ती बैठक में इस पर विचार करेगी;

(iv) कार्य परिषद् को अपनी बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो–तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा पारित संकल्प से ऐसे किसी अध्यादेशों में उपान्तरण या रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसे अध्यादेश, ऐसे संकल्प पारित होने की तारीख से यथास्थिति उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या रदद् हो जायेंगे।

35. नियमावली

(i) विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्, संकाय, कार्य परिषद् एवं वित्त परिषद्, कार्य परिषद् के अनुमोदन के अध्यधीन इस अध्यादेशएवं संविधि से सुसंगत नियम बना सकती है।

(ii) नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध होंगे :–

(क) प्रत्येक प्राधिकार के सदस्य को नोटिस भेजने, बैठक की तारीख तथा इनकी बैठकों में होने वाले कार्यो और बैठकों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने;

(ख) बैठकों में अनुपालन की जाने वाली प्रकिया और बैठकों में गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या;

(ग) मात्र ऐसे प्राधिकार से संबंधित सभी मामले अथवा इस अध्यादेश या संविधि द्वारा उपबंध नही किए गए मामले।

(ii) कार्य परिषद् उसके पास उपस्थापित नियमों को अनुमोदन करने से इंकार कर सकती है अथवा सम्बद्ध प्राधिकार को आगे विचार करने के लिए वापस कर सकती है अथवा बिना उपान्तरण के या ऐसे उपान्तरण के अध्यधीन जो वह उचित समझे, अनुमोदन कर सकती है।

(iv) इस धारा के अधीन बनाए गए नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि अथवा ऐसी तिथि से प्रभावी होंगे जैसा कि कार्य परिषद् निदेश दे।

अध्याय – VII
प्रकीर्ण

36. पिछड़ा वर्ग, अनु0जाति, अनु0 जन जाति के लिए स्थानों का आरक्षण :–
विश्वविद्यालय सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो, अनु0जातियों, अनु0 जन जातियों के सदस्यों के लिए अंगीभूत महाविद्यालयों में स्थानों का आरक्षण सरकार द्वारा इस निमित्त समय–समय पर यथा अवधारित सिद्धांतो के अनुसार करेगा।

37. सदस्यों, पदाधिकारियों का लोकसेवक होना :–
विश्वविद्यालय के सभी सदस्य, पदाधिकारी एवं कर्मचारी जब कार्य कर रहे हों अथवा कार्य करने के लिए तात्पर्यित हों, भारतीय दंड संहिता की धारा–21 के अन्तर्गत लोकसेवक माने जायेंगे।

38. अध्यादेश और आदेश का संरक्षण :–
विश्वविद्यालय या उसके प्राधिकार, निकाय या पदाधिकारी के विरूद्ध किसी ऐसी बात के लिए जो सद्भावपूर्वक की गयी हो या किए जाने से आशयित हो अथवा इस विधेयक या नियमों के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक पारित किसी आदेश के लिए कोई वाद या कार्यवाही संस्थित नही की जायेगी या उनसे नुकसानी का कोई दावा नही किया जायेगा।

39. कुलसचिव द्वारा कार्यवाही की प्रति सरकार को अग्रसारित किया जाना :–
कुलसचिव कार्य परिषद् की हरेक बैठक की कार्यवाही की प्रति बैठक के दो माह के भीतर सरकार को अग्रसारित करेगा।

40. सरकार को विश्वविद्यालय का निरीक्षण कराने की शक्ति :–
सरकार को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिसे वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय, इसके भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, संग्रहालय, कार्यशाला एवं उपकरण अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित, सम्बद्धता प्राप्त या अनुमोदित किसी संस्था अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्य तथा विश्वविद्यालयसे संबंधित किसी मामले के विषय में होने वाली जाँच का निरीक्षण करा सके।

41. विश्वविद्यालय द्वारा धन के रूप में लाभांश आदि का भुगतान नही करना :–
विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों एवं छात्रों को पारितोषिक, पुरस्कार या विशेष अनुदान के अलावा कोई लाभांश, उपहार, अपयोजन या बोनस धन के रूप में भुगतान नही करेगा।

42. <u>भू–राजस्व के बकाये के रूप में ऋण आदि की वसूली</u> :–
जहाँ विश्वविद्यालय द्वारा किसी महाविद्यालय या संस्था या व्यक्ति को मंजूर किए गए किसी ऋण या अग्रिम के बकाये का भुगतान विनिर्दिष्ट तारीख से पहले नही किया गया हो वहाँ कार्य परिषद् वसूली की किसी विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राजस्व बकाया के रूप में उल्लिखित राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला के समाहर्ता को प्रमाण पत्र निर्गत कर सकती है और उपायुक्त उक्त प्रमाण पत्र में बकाया के रूप में उल्लिखित राशि की वसूली के लिए प्रमाण पत्र विधेयक के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

43. <u>पुनरीक्षिण समिति</u> :–
(i) कुलाधिपति सामान्यतः विश्वविद्यालय के कार्य एवं प्रगति अथवा उसके किसी विशिष्ट कियाकलाप के संबंध में जाँच करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त कर सकता है।
(ii) कुलाधिपति उक्त धारा (1) के अधीन बनाई गई उक्त समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ऐसी कार्यवाही कर सकता है एवं ऐसा निदेश दे सकता है जो वह उक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित किसी मामले में आवश्यक समझे, और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों को अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

44. <u>विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन</u> :–
कार्य परिषद् कुलपति के निदेशाधीन विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी और अपनी ऐसी वार्षिक बैठक के एक माह के भीतर जिसमें उक्त प्रतिवेदन विचार किया गया था, सरकार को उपस्थापित करेगी।

45. <u>वाद का वर्जनः–</u>
इस अधिनियम, संविधि, नियमावली, अध्यादेशों या विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित कोई वाद एवं कार्यवाही व्यवहार न्यायलयों में नही चलायी जा सकेगी।

46. <u>निरसन और व्यवृत्ति</u>
(i) इस विधेयक के प्रारम्भ होने, और इस विधेयक की धारा (3) के अनुसार विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने की तिथि को एवं से, झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 के उपबंध अन्य विश्वविद्यालयों से असंबद्ध और इस विधेयक के उपबंधो के अधीन विश्वविद्यालय से संबद्धन प्राप्त महाविद्यालयों, सस्थाओं या विभागों पर लागू नही होंगे।

(ii) ऐसा समापन निम्नलिखित को प्रभावित नही करेगा :–
(क) उक्त विधेयक के पूर्ववर्त्ती कार्यान्वयन, अथवा
(ख) उक्त विधेयक के अधीन किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड, अथवा
(ग) ऐसी शास्ति, समपहरण या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार उसी प्रकार संस्थित, जारी या प्रभावी रहेंगे तथा ऐसी किसी शास्ति समपहरण या दंड उसी प्रकार अधिरोपित किए जायेंगे मानो यह विधेयक पारित ही नहीं हुआ था।

47. <u>संदेह एवं कठिनाई दूर करना</u> :–
इस विधेयक के प्रारम्भ होने के पश्चात् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार के प्रथम गठन अथवा जिसके पुर्नगठन के बारे में अथवा अन्यथा या इस विधेयक के उपबंधो को प्रभावी करने में यदि कोई संदेह या कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार आदेश द्वारा इस विधेयक से अनसंगत कोई ऐसी बात कर सकती है जो संदेह या कठिनाई दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

परन्तु ऐसे किसी प्राधिकार की प्रथम समिति के विषय में इस विधेयक के प्रारम्भ होने से दो वर्षो की अवधि अवसान के पश्चात् इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नही किया जायेगा।

यह विधेयक झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 24 मार्च, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 61--50--29-03-2011 ।